न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – अंजना सहरावत आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
29 / 2023	18 / 04 / 2023	10 / 08 / 2023

विक्रम सिंह मीना आयु 17 वर्ष अवयस्क पुत्र ओमप्रकाश जरिए सरंक्षक पिता ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी जलोदाखातियान तह0 पीपल्दा जिला कोटा(राज.)

वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

यह कि वाद पत्र से संबंधित ग्राम जलोदाखातियान पटवार हलका जलोदाखातियान तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल में खसरा संख्या 187 रकबा 0.46 है.,खसरा संख्या 188 रकबा 0.23 है., खसरा संख्या 192 रकबा 0.22 है., खसरा संख्या 233 रकबा 0.13 है., खसरा संख्या 293 रकबा 1.42 है., खसरा संख्या 342 रकबा 0.04 है., खसरा संख्या 343 रकबा 1.34 है., खसरा संख्या 344 रकबा 0.12 है., खसरा संख्या 345 रकबा 3.00 है., खसरा संख्या 602 रकबा 0.02 है. कुल किता 10 कुल रकबा 6.98 है., कृषि भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि से संबोधित की गई है।

यह कि वाद पत्र से संबंधित ग्राम जलोदाखातियान पटवार हलका जलोदाखातियान तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल में खसरा संख्या 1054 / 221 रकबा 0.26 है., कुल किता 1 कुल रकबा 0.26 है. कृषि भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि से संबोधित की गई है।

यह कि उक्त भूमि वादी की कदीमी पैतृक भूमि है। वादी का नाम विक्रम सिंह मीना है तथा वादी के पिता का नाम ओमप्रकाश है। किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा ग्राम जलोदाखातियान की खसरा संख्या 187 रकबा 0.46है.,खसरा संख्या 188 रकबा 0.23 है., खसरा संख्या 192 रकबा 0.22 है., खसरा संख्या 233 रकबा 0.13 है., खसरा संख्या 293 रकबा 1.42 है., खसरा संख्या 342 रकबा 0.04 है., खसरा संख्या 343 रकबा 1.34 है., खसरा संख्या 344 रकबा 0.12 है., खसरा संख्या 345 रकबा 3.00 है., खसरा संख्या 602 रकबा 0.02 है. कुल किता 10 कुल रकबा 6.98 है. कृषि भूमि में वादी का नाम विक्रम सिंह मीना के स्थान पर नाबालिग विक्रम अंकित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

होने से दुरस्त किये जाने योग्य है इसी प्रकार ग्राम जलोदाखातियान की खसरा संख्या 1054/221 रकबा 0.26है., कृषि भूमि में वादी का नाम विक्रम सिंह मीना के स्थान पर नाबालिग विक्रम अंकित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से दुरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि अन्य शासकीय दस्तावेजों में, वादी का नाम विक्रम सिंह मीना ही अंकित है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में हो रही उक्त त्रुटि के कारण वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। जिसे परिशुद्ध किया जाकर विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम नाबालिग विक्रम के स्थान पर विक्रम सिंह मीना अंकित करवाने के विधिक अधिकारी है।

यह कि विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में हो रही उक्त त्रुटि के कारण वादी राजकीय कृषक कल्याण योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। उक्त त्रुटि सुधार हेतु वादी द्वारा प्रतिवादी से निवेदन करने पर भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। इस परिस्थिति में वादी के पास इस सम्मानीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नहीं है।

यह कि प्रस्तुत वाद में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा को भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरुद्ध वाद लाने के लिये धारा 80 दी. प्र. सं. के प्रावधानों की पालना आवश्यक हैं किन्तु राजस्व अभिलेख में हो रहे उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण वादी को घोर समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इसलिए वाद की आपातिक दशा को देखते हुए वाद बगैर नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी के विरुद्ध वाद करने की अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80 (2) दी.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र प्रथक् से प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 15.03.2023 वादी द्वारा प्रतिवादी से उपरवर्णित त्रुटि परिशुद्ध करने बाबत निवेदन किया तो शासन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने बाबत हिदायत देने पर उत्पन्न हुआ।

यह कि वाद नियत न्याय–शुल्क 1रू. पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

यह कि न्यायालय श्रीमान को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार एवम् क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से विनय है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में, विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय का निर्णय एवम् डिक्री पारित करने की कृपा करें :–

(अ) यह कि ग्राम जलोदाखातियान पटवार हलका जलोदाखातियान तहसील पीपल्दा के माल मे खसरा संख्या 187 रकबा 0.46 है.,खसरा संख्या 188 रकबा 0.23 है., खसरा संख्या 192 रकबा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

0.22 है., खसरा संख्या 233 रकबा 0.13 है., खसरा संख्या 293 रकबा 1.42 है., खसरा संख्या 342 रकबा 0.04 है., खसरा संख्या 343 रकबा 1.34 है., खसरा संख्या 344 रकबा 0.12 है., खसरा संख्या 345 रकबा 3.00 है., खसरा संख्या 602 रकबा 0.02 है. कुल किता 10 कुल रकबा 6.98 है. भूमि में वादी का नाम नाबालिग विक्रम के स्थान पर विक्रम सिंह मीना अंकित कर दिया जावे तथा ग्राम जलोदाखातियान पटवार हलका जलोदाखातियान तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल में खसरा संख्या 1054/221 रकबा 0.26है. कुल किता 1 कुल रकबा 0.26है. भूमि में वादी का नाम नाबालिग विक्रम के स्थान पर विक्रम सिंह मीना अंकित कर दिया जावे तदनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

वाद दर्ज रजि0 किया जाकर। प्रतिवादी की तलबी की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वली माता जो कि सहखातेदार है, हाजिर आई एवं पिता भी हाजिर आए। दोनों से विकम को विकम सिंह मीना करने पर सहमति जाहिर की। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम जलोदाखातियान पटवार हलका जलोदाखातियान तहसील पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 187 रकबा 0.46 है., खसरा संख्या 188 रकबा 0.23 है., खसरा संख्या 192 रकबा 0.22 है., खसरा संख्या 233 रकबा 0.13 है., खसरा संख्या 293 रकबा 1.42 है., खसरा संख्या 342 रकबा 0.04 है., खसरा संख्या 343 रकबा 1.34 है., खसरा संख्या 344 रकबा 0.12 है., खसरा संख्या 345 रकबा 3.00 है., खसरा संख्या 602 रकबा 0.02 है. कुल किता 10 कुल रकबा 6.98 है. भूमि में वादी का नाम नाबालिग विक्रम के स्थान पर विक्रम सिंह मीना अंकित कर तहसीलदार पीपल्दा को तदनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जाता है। विवादित आराजी यदि रहनभार हेतु यथावत रहेगा। तदनुसार डिक्री बनाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– श्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीक्ष फैसला
29/2023	18/04/2023	10/08/2023

विक्रम सिंह मीना आयु 17 वर्ष अवयस्क पुत्र ओमप्रकाश जरिए सरंक्षक पिता ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी जलोदाखातियान तह0 पीपल्दा जिला कोटा(राज.)

वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम जलोदाखातियान पटवार हल्का जलोदाखातियान तहसील पीपल्दा के माल मे खसरा संख्या 187 रकबा 0.46 है.,खसरा संख्या 188 रकबा 0.23 है., खसरा संख्या 192 रकबा 0.22 है.,खसरा संख्या 233 रकबा 0.13 है., खसरा संख्या 293 रकबा 1.42 है., खसरा संख्या 342 रकबा 0.04 है., खसरा संख्या 343 रकबा 1.34 है., खसरा संख्या 344 रकबा 0.12 है., खसरा संख्या 345 रकबा 3.00 है., खसरा संख्या 602 रकबा 0.02 है. कुल किता 10 कुल रकबा 6.98 है. भूमि में वादी का नाम नाबालिग विक्रम के स्थान पर विक्रम सिंह मीना अंकित कर तहसीलदार पीपल्दा को तद्नुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जाता है। विवादित आराजी यदि रहनभार हेतु यथावत रहेगा। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा